कार्यालय–संयुक्त शिक्षा निदेशक, झाँसी मण्डल, झाँसी

पत्रांक/एल0टी0/ 01 /2015–16 दिनांक– 01/अप्रैल, 2015

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्रांक/एल0टी0नियु0/विज्ञापन/3557/2014–15दिनांक–24.09.2014 द्वारा प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम (महिला/पुरुष) के अन्तर्गत झाँसी मण्डल, झाँसी में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराकर अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये गये थे। इस सन्दर्भ में राजाज्ञा संख्या–47(1)/पन्द्रह–2–15–34(100)/2011 दिनांक–05 फरवरी, 2015 के क्रम में निर्गत शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0 शिक्षा नियुक्ति(एल0टी0)/1653/2014–15 दिनांक–13.02.2015 उपलब्ध पदो के प्रति श्रेष्ठता क्रम में 05 गुणा अभ्यर्थियों को मूल अभिलेखों से मिलान हेतु अनन्तिम रूप से निम्नलिखित विवरण के अनुसार विषयवार/आरक्षणवार/विशेष श्रेणीवार, लिपिकीय त्रुटि, रिसफलिंग तथा अन्य विभागीय आदेश के संज्ञान के अधीन अनन्तिम न्यूनतम कट आफ मेरिट निम्नवत् प्रकाशित की जाती है–

(पुरूष शाखा)

क्र. सं.	विषय	अनारक्षित	अ.पि.वर्ग	अनु.जाति	अ.ज.जाति	विकलांग दृष्टिबाधित	विकलांग चलनक्रिया
1	हिन्दी	73.740	72.212	68.259	–	–	71.080
2	संस्कृत	75.223	73.843	70.498	–	–	–
3	अंग्रेजी	74.500	73.068	69.433	–	–	–
4	गणित/विज्ञान	75.992	74.702	71.031	64.990	68.406	–
5	सामान्य विषय	76.808	75.622	72.748	64.611	–	–
6	शारीरिक शिक्षा	75.708	74.567	72.774	–	–	–

(महिला शाखा)

क्र. सं.	विषय	अनारक्षित	अ.पि.वर्ग	अनु.जाति	अ.ज.जाति	विकलांग दृष्टिबाधित	विकलांग श्रवणह्रास
1	हिन्दी	74.183	72.280	69.510	–		–
2	संस्कृत	74.487	72.610	69.733	–		–
3	अंग्रेजी	74.338	72.760	70.598	–	–	–
4	गृह विज्ञान	74.949	73.410	70.277	–	–	–
5	गणित/विज्ञान	77.260	74.707	71.752	59.927	–	–
6	सामान्य विषय	75.700	74.041	71.838	64.814	–	66.640
7	शारीरिक शिक्षा	72.755	70.970	67.340	69.598	59.830	–

(विशेष श्रेणी की स्थिति)

क्र.सं.	विशेष श्रेणी का नाम	पुरुष शाखा	महिला शाखा
1	स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित	68.565	68.564
2	भूतपूर्व सैनिक	64.890	62.090

उपरोक्त अनन्तिम श्रेष्ठता गुणांक की सीमा में आने वाले अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक अंकपत्रों, प्रमाण–पत्रों, जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र तथा विशेष आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र (जहाँ लागू है) की दो–दो स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ एवं सभी मूल अभिलेखों तथा पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटो, जिस संस्था से प्रशिक्षण उपाधि (बी0एड0/समकक्ष) की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है, उस संस्था को एन0सी0टी0ई0 से प्राप्त मान्यता आदेश की प्रति साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके शैक्षिक अंक पत्रों में आवेदन पत्रों में अंकित शैक्षिक विवरण से सम्बन्धित अंक विभाजन सैद्धान्तिक अथवा प्रशिक्षण का विभाजन अथवा वर्षवार अंको का योग अंकित नहीं है उनका दायित्व होगा कि प्रतिशत और गुणांक के निर्धारण हेतु अंक–पत्र निर्गमन संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय का इस स्पष्टीकरण का प्रमाण–पत्र अवश्य उपलब्ध करायें, जिससे उनके गुणांक निर्धारण का विधिवत् परीक्षण किया जा सके तथा रू0 10/– के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर संयुक्त शिक्षा निदेशक, झाँसी मण्डल–झाँसी के पक्ष में इस आशय का शपथ पत्र, **"मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी अभिलेख सही हैं, भविष्य में जाँच के दौरान यदि कोई भिन्नता पायी जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी और विभाग द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा। इस क्रम में विभाग द्वारा यदि मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जायेगा तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी"** के साथ दिनांक–15.04.2015 को पुरुष शाखा के अभ्यर्थियों तथा दिनांक–16.04.2015 को महिला शाखा के अभ्यर्थी प्रातः 09:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक राजकीय इण्टर कालेज, झाँसी के परिसर में अभिलेखों के मिलान/जाँच हेतु उपस्थित हों। निर्धारित तिथि के बाद अभिलेखों के मिलान हेतु कोई अवसर नहीं दिया जायेगा। उपरोक्त कट ऑफ मैरिट इस कार्यालय के सूचना पट एवं जनपद झाँसी की वेबसाइट **www.jhansi.nic** पर देखी जा सकती है, सम्बन्धित अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक के माध्यम से भी अवगत कराया जा रहा है। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा है, जो उक्त श्रेष्ठता गुणांक में स्थान रखता है, और उसे पंजीकृत डाक से सूचना न मिल सके, तो वह भी उक्त विज्ञापन के आधार पर कार्यालय में उपस्थित होकर अभिलेखों का मिलान करा सकता है। शर्त यह है कि सम्बन्धित अभ्यर्थी को यह सिद्ध करना होगा कि उसके द्वारा समयान्तर्गत पूरित आवेदन इस कार्यालय को भेजा गया है।

उपरोक्त अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि, समय तथा स्थान पर उपस्थित होना अभ्यर्थी का व्यक्तिगत दायित्व होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात उपरोक्त आशय के किसी प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(मनोज कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झाँसी मण्डल–झाँसी